

15/11/19

वकील वादी अपा वकील वादी को प्रतिवादीगण को अनेक अवसर लम्बी हेतु लम्बाना पेसा करि हेतु दिये गये। दि० १।२।११, ११।५।११, को लम्बी हेतु लम्बाना पेसा करने हेतु न्यायदिल में अन्तिम अवसर दिये गये। इसके पश्चात् दिनांक २५।१३ को प्रतिवादीगण की लम्बी रफिड डाक की रजिस्ट्री की रसीद पेसा करने हेतु आदेशित किया गया। इसके पश्चात् वकील वादी को दि० १४।६।१३, ३०।९।१३, १०।२।१५, १७।४।१५ को लम्बी हेतु लम्बाना पेसा करने हेतु अपसर प्रदान किये गये। लेकिन वकील वादी ने लम्बी हेतु लम्बाना पेसा नहीं किये। दिनांक ३।१।१७ व ३।५।१८ को प्रतिवादीगण की लम्बी हेतु लम्बाना पेसा करि हेतु न्यायदिल में अन्तिम अवसर दिये गये व वकील वादी को हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने लम्बाना पेसा नहीं किये। इसके उपरान्त दिनांक १।१०।१९ को रजिस्ट्रार छुडीं लम्बाना पेसा करि हेतु न्यायदिल में एक और अन्तिम अपसर दिया गया। लेकिन वकील वादी ने प्रतिवादीगण की लम्बी हेतु लम्बाना पेसा नहीं किये अतः वादवादी के अन्तर्गत धारा ०९ R ०५ के तहत अदालत वकील (NON-compliance) में रकारिज किया जा रहा है। पञ्जाबी क्रमिक से कम होकर वाद वकील दाविल दावत (वे) सुनना गण।

सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)